कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

Phone No. :- 07762-222911,Fax No. :- 07762-222923
Email :- nraigarh@ymail.com, Website - WWW.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 2466 / स्वा.वि. / न.पा.नि. / 2024 रायगढ़ दिनांक 28/02/24

–:: रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना ::–

नगर पालिक निगम, रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बधियाकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण कार्य कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा पशु चिकित्सा कार्य एवं संरक्षण गतिविधियों हेतु पंजीकृत एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठनों) से मुहर बंद लिफाफा में रूचि की अभिव्यक्ति, दिनांक 15/03/24 के 4:00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रस्ताव लिफाफा दिनांक 15/03/24 को 4:30 बजे सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।

प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ पृथक लिफाफा में रूपये 25000/– का टी0डी0आर0 एवं वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इससे संबंधित अन्य शर्ते कार्यालयीन अवधी में नगर पालिक निगम रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अवलोकन अथवा निगम के वेब साईट http//nagarnigamraigarh.com से डाऊनलोड की जा सकती है।

27.2.24.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 2466 / स्वा.वि. / न.पा.नि. / 2024 रायगढ़ दिनांक 28/02/2024

प्रतिलिपि :–

1. मान0 महापौर / सभापति / नेता प्रतिपक्ष / भारसाधक सदस्य (MIC) स्वास्थ्य एवं अस्पताल विभाग, नगर पालिक निगम रागयढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रागयढ़ को सूचनार्थ।
3. जन संपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम रागयढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रादेशिक स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. संपादक .... दैनिक समाचार पत्र को उपरोक्तानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित कर भुगतान हेतु देयक के साथ समाचार पत्र की 02 प्रति के साथ प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ०ग०)

Phone No. :- 07762-222911,Fax No. :- 07762-222923
Email :- nraigarh@ymail.com, Website - WWW.nagarnigamraigarh.com

(आवारा स्वानों के बध्याकरण हेतु नियम एवं शर्ते)

1. मुख्य लिफाफा के अन्दर दो लिफाफा A और B निम्नानुसार दस्तावेज रखा जाना है :–
A (1) 25000 रूपये का टी0डी0आर0 आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय होगा, (2) संस्था का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, (3) अनुभव प्रमाण पत्र अथवा समान कार्य का किसी संस्था से पूर्व में किये गये कार्य का कार्यादेश। उपरोक्त में से किसी दस्तावेज के अभाव में दर नहीं खोला जावेगा।
B वित्तीय प्रस्ताव :– "प्रति स्वान बधियाकरण एवं टीकाकरण की दर समस्त व्ययों एवं करों सहित।"

2. आवारा स्वानों के बध्याकरण एवं टीकाकरण कार्य हेतु सम्पूर्ण कार्य योजना एवं आवश्यक स्थान, की व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. स्वानों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित कर्मी एवं आवश्यक उपकरण फंदे, जाली आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा करनी होगी। नगर निगम केवल एक वाहन, चालक सहित उपलब्ध करायेगी।

4. संस्था द्वारा पकड़े गये स्वानों के आपरेशन (बध्याकरण) एवं टीकाकरण के कार्य में लगने वाले सभी प्रकार के सर्जीकल उपकरण, फर्नीचर, दवाईयां, वेक्सीन एवं स्वानों के समुचित भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

5. पकड़े गये स्वानों के बध्याकरण का कार्य प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों के द्वारा कराया जावेगा तथा बध्याकरण के पूर्व एवं पश्चात् (प्री एंड पोस्ट आपरेटिव) की सभी सावधानियां एवं संक्रमण की रोकथाम के सभ्ज्ञी उपाए संस्था द्वारा करना होगा तथा ऑपरेशन के पश्चात् स्वानों को न्यूनतम 05 दिन तक पोस्ट आपरेटिव केयर हेतु रखा जावेगा।

6. आपरेशन के जिल स्थानों/मोहल्लों से कुत्ते पकड़े जावेगे आपरेशन के पश्चात् कुत्तों को उन्हीं स्थान/मोहल्लों में वापस छोड़ना होगा तथा इस आशय का पंचनामा वार्ड के पार्षद/नागरिकों से प्राप्त करना हागा।

7. बध्याकरण किये गये स्वानों के कान पर अंग्रजी के 'व्ही' के आकार के अमिट चिन्ह से स्थायी रूप से चिन्हांकित करना होगा। ताकि यह पता चल सके कि इस स्वान का बध्याकरण किया जा चुका है तथा इस संस्था द्वारा प्रतिमाह कम से कम 1000 स्वानों का बध्याकरण एवं टीकाकरण का कार्य पूर्ण करना होगा।

8. संस्था को नगर पालिक निगम रायगढ़ के जो कर्मचारी कुत्ते पकड़ने के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है उन्हे निःशुल्क रूप से प्रशिक्षित करना होगा।

9. स्वानों को पकड़ने एवं बध्याकरण कार्य के दौरान संस्था के कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। नगर निगम इस संबंध में किसी व्यय अथवा उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगी।

10. स्वानों के बध्याकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही (करप्ट प्रेक्टिस) क्षम्य नहीं होगी, तथा शल्य क्रिया से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां का पालन करना अनिवार्य होगा। लापरवाही पाये जाने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. स्वानों के बध्याकरण एवं टीकाकरण कार्य के निरीक्षण हेतु नगर निगम द्वारा टीम के निम्न सदस्य होंगे :–

1. सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
2. स्वच्छता निरीक्षक
3. शासकीय पशु चिकित्सक

12. संस्था द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् किये गये कार्य का देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। देयक का सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात् देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

13. संस्था को छ0ग0 शासन के श्रम नियमों का पालन करना होगा।

14. नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण, श्रम विभाग एवं विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा।

15. किसी भी विवाद में महापौर परिषद् नगर पालिक निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

F:\Work File\safai\All Note Sheet\Avara dog